राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी तथा जांच कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन
पेयजल आपूर्ति विभाग
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

जनवरी, 2006

विषय सूची

मद सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.0	पृष्ठभूमि	
2.0	उद्देश्य	
3.0	कार्य-नीति	
4.0	वित्त पोषण	
5.0	आई.ई.सी. तथा एच.आर.डी. के अन्तर्गत क्रिया-कलापों की निदर्शी सूची	
6.0	लागत मानदण्ड	
7.0	सामुदायिक अंशदान	
8.0	कार्यक्रम की निगरानी	
9.0	रिपोर्टें	
10.0	वार्षिक लेखा परीक्षा	
	सुझाई गई मीडिया एवं सम्प्रेषण नीति	अनुबंध-1

दिशा निर्देशों में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दावली

डब्ल्यू एच ओ.	विश्व स्वास्थ्य संगठन
यूनीसेफ	संयुक्त राष्ट्र बाल शिक्षा कोष
एन आर आई	राष्ट्रीय परामर्श संस्थान
एन आई सी डी	राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान
एस आर आई	राज्य परामर्श संस्थान
एन आर डी डब्ल्यू क्यू एम एंड एस पी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी तथा जांच कार्यक्रम
ओ एंड एम	संचलन एवं रखरखाव
डी डी डब्ल्यू एस	पेयजल आपूर्ति विभाग
एस एच जी	स्व-सहायता समूह
एन जी ओ	गैर सरकारी संगठन
आई ई सी	सूचना, शिक्षा एवं संचार
एच आर डी	मानव संसाधन विकास
सी सी डी यू	संचार एवं क्षमता विकास एकक
एस डब्ल्यू एस एम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
डी डब्ल्यू एस एम	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
पी.एच.ई.डी.	लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग
वी.डब्ल्यू एस सी	ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति
जी.पी.	ग्राम पंचायत
ए आर डब्ल्यू एस पी	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम
पी आर आई	पंचायती राज संस्थान
टी ए/डी ए	यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता
आशा	विश्वसनीय सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता
यू टी	संघ राज्य क्षेत्र
एम आई एस	प्रबंधन सूचना प्रणाली

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश

1.0 पृष्ठभूमि

डब्ल्यू एच.ओ. तथा यूनीसेफ की मदद से ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 7-9 अगस्त, 1997 को संयुक्त रूप से आयोजित की गई जल गुणवत्ता की निगरानी एवं जांच संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला में देश में पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी एवं जांच पद्धति को संस्थागत बनाने की सिफारिश की गई थी। चूंकि पेयजल गुणवत्ता निगरानी तथा गुणवत्ता जांच दो अलग-अलग किन्तु आपस में जुड़े हुए क्रिया-कलाप हैं, इसकी पेयजल के आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा पेयजल गुणवत्ता निगरानी और स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा जांच करनी होती है, इसलिए कार्यशाला में देश भर की पेयजल आपूर्ति एजेंसियों तथा स्वास्थ्य प्राधिकरणों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने की भी सिफारिश की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल गुणवत्ता निगरानी तथा जांच के बृहत कार्य में प्रति 200 आबादी के एक नमूने के मानदण्ड के साथ वर्ष भर में 160 लाख नमूनों को जांचने की जरूरत है।

जल गुणवत्ता निगरानी तथा जांच पद्धतियों को संस्थागत बनाने के लिए कैचमेंट एरिया एप्रोच के आधार पर नेल्लोर (आन्ध्र प्रदेश), सिहोर (मध्य प्रदेश), इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) तथा कांगडा(हिमाचल प्रदेश) में चार प्रायोगिक परियोजनाएं कार्यान्वित की गई थीं। इन प्रायोगिक परियोजनाओं के निष्कर्षों का विश्लेषण करने के बाद इस कार्यक्रम को देशभर में लागू करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी तथा जांच कार्यक्रम संबंधी कार्यान्वयन नियमावली अखिल भारतीय स्वास्थ्यप्रद तथा जन स्वास्थ्य संस्थान के माध्यम से बनाई गई थी, जिसे जनवरी, 2004 में सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई है।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण जल गुणवत्ता निगरानी और जांच कार्यक्रम संबंधी कार्यान्वयन नियमावली में उल्लिखित प्रचलनात्मक पहलुओं जैसे कि पेयजल गुणवत्ता मानकों, जानपदिक रोग तथा जल गुणवत्ता के स्वास्थ्य पहलुओं, नमूना प्रक्रियाओं, प्रयोगशाला के स्थान के लिए विशिष्टताएं, जिला जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं के लिए उपस्कर, रसायनों तथा ग्लासवेयर, एस.आर.आई तथा एन.आर.आई. की भूमिका तथा जिम्मेदारियों आदि का अनुपालन किया जाएगा। चूंकि नियमावली में सुझाए गए लागत मानदंड पुराने हो चुके हैं तथा कुछ मामलों में स्पष्ट

नहीं हैं, इसलिए इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से राज्यों के साथ बातचीत करके तथा वास्तविकता के आधार पर इन्हें अद्यतन बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। अतः लागत मानदंडों के लिए इन दिशा निर्देशों को एनआरडीडब्ल्यूक्यूएमएंडएसपी के कार्यान्वयन के लिए निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

चूंकि देश में उपलब्ध अवसंरचना पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता की निगरानी के लिए अपर्याप्त है इसलिए, पेयजल गुणवत्ता, परीक्षण उदाहरणार्थ शैक्षणिक, तकनीकी तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए उप जिला स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराकर सामुदायिक आधारित नीति अपनाने का निर्णय लिया गया था।

2.0 उद्देश्य

- समुदाय द्वारा देश में सभी पेयजल स्त्रोतों की निगरानी तथा जांच करना ।
- देश में ग्रामीण पेयजल के सभी स्त्रोतों की जल गुणवत्ता निगरानी तथा जांच को विकेन्द्रीकृत करना
- जल गुणवत्ता निगरानी तथा जांच के लिए सामुदायिक भागीदारी तथा पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी को संस्थागत बनाना।
- जल गुणवत्ता मामलों तथा जल जनित रोगों से संबंधित समस्याओं के बारे में ग्रामीण लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना।
- पंचायतों की क्षेत्रीय परीक्षण किटों का उपयोग करने तथा अपने संदर्भित पी.आर.आई. क्षेत्र में सभी पेयजल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता निगरानी करने के लिए ओ एंड एम की समूची जिम्मेदारी लेने के लिए क्षमता को बढ़ाना।

1. कार्यनीति

राष्ट्रीय स्तर पर

- समूचे कार्यक्रम की निगरानी के लिए पेयजल आपूर्ति विभाग ।
- राज्यों में पेयजल गुणवत्ता निगरानी और जांच के नियोजन तथा पर्यवेक्षण और कार्यान्वयन हेतु पेयजल आपूर्ति विभाग को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता समन्वय परिषद् ।
- सरकार , तकनीकी संस्थानों, जिला प्रयोगशालाओं तथा निचले स्तर के कार्मिकों के बीच जानकारी के आदान-प्रदान की सुव्यवस्था करना ।
- राष्ट्रीय परामर्श संस्थान का निर्धारण ।

- राज्य स्तरीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देना ।

राज्य स्तर पर

- राज्य स्तरीय परामर्श संस्थान का निर्धारण करना।
- सी.सी.डी.यू./एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी समितियों, महिला समूहों, स्व-सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों को शामिल करके राज्य तथा क्षेत्र विशिष्ट आई.ई.सी. क्रिया-कलापों को शुरू करना।
- जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर के कार्मिकों को एच.आर.डी. प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- जांचे गए कम से कम 10 प्रतिशत नमूनों की जांच करना जिसमें राज्य प्रयोगशाला द्वारा रोजमर्रा की परस्पर जांच के अलावा जिला जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं द्वारा वास्तविक रूप से जांचे गए नमूने शामिल हैं। राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएं दुर्लभ तत्वों के संकेन्द्रणों की जांच में भी शामिल होगी और प्राकृतिक आपदा तथा विपदाओं के समय राज्य सरकारों को जल गुणवत्ता की जांची गई रिपोर्टें उपलब्ध कराने में सभी प्रकार की आवश्यक सहायता देगी।
- जिला प्रयोगशालाओं/पी.एच.ई.डी. से ग्राम पंचायतों द्वारा जांचे गए जल नमूनों के कम से कम 30 प्रतिशत तथा अनिवार्य रूप से जहां समुदाय(वी.डब्ल्यू.एस.सी./ग्राम पंचायतों) ने संदूषण होने की जानकारी दी है, की जांच करने की अपेक्षा की जाती है।
- जिला तथा राज्य प्रयोगशालाएं आई.एस-10500 में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित सीमाओं के संबंध में संदूषकों के संकेन्द्रण की तुलना करेंगी।
- सभी ग्रामीण बसावटों(ग्राम पंचायत वार) में सुरक्षित पेयजल स्रोतों का निर्धारण/ पंजीकरण।
- पेयजल स्रोतों की स्वच्छता जांच शुरू में वर्ष में कम से कम एक बार, इसके बाद स्थितियों के अनुसार की जानी चाहिए।
- वी.डब्ल्यू.एस.सी./जी.पी. के निचले स्तर के कार्मिकों द्वारा ग्राम स्तर पर सभी स्रोतों की शत प्रतिशत जांच करना।

4.0 वित्तपोषण

कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को आई.ई.सी. क्रिया-कलापों, एच.आर.डी. क्रिया-कलापों, जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं को कारगर बनाने, क्षेत्रीय परीक्षण किटों की खरीद, यात्रा तथा ढुलाई लागत, आंकड़ों की जानकारी देने की लागत, स्टेशनरी

लागत, जिला स्तरीय जांच समवन्यकों को मानदेय, जल परीक्षण, दस्तावेजों तथा आंकड़ा प्रविष्टि लागत के लिए शत प्रतिशत वित्तपोषण दिया जाएगा ताकि जल गुणवत्ता निगरानी और जांच कार्यक्रम के लिए अनुमोदित मानदण्डों और ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के दिशा निर्देशों के अनुसार जल गुणवत्ता निगरानी सुविधाओं को कारगर बनाया जा सके। अनेक विभागों जैसे कि पी.एच.ई., स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पंचायती राज आदि के मौजूदा कार्मिकों (तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों) को एकजुट तथा शामिल किया जाएगा।

क्षेत्रीय परीक्षण किटों की पुनः भराई लागत, विसंक्रामक की लागत, छोटे-मोटे उपचारी खर्च, वार्षिक भृत्ति तथा गतिशीलता, निचले स्तर के कार्मिकों और ग्राम पंचायत स्तरीय समन्वयकों को मानदेय सहित क्षेत्रीय परीक्षण किटों के संचलन एवं रखरखाव की लागत को सामुदायिक अंशदान से पूरा किया जाएगा।

प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक क्षेत्रीय परीक्षण किट दी जाएगी। इसके अलावा, निम्नलिखित ब्यौरों के साथ डेमो किटें भी दी जाएंगीः- राज्य/एसआरआई-1, जिला-3 तथा ब्लॉक- 2 ।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निधियां पेयजल स्रोतों की संख्या, संबंधित राज्य में ग्राम पंचायतों, ब्लाक पंचायतों, जिलों, कुल ग्रामीण आबादी की संख्या के आधार पर भारत सरकार द्वारा एसडब्ल्यूएसएम/पीएचईडी/बोर्डों को रिलीज की जाएगी।

इसके बाद राज्य सरकारें सीसीडीयू को आईईसी तथा एचआरडी के लिए निधियां रिलीज करेंगी। नई प्रयोगशालाएं लगाने तथा मौजूदा जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं को कारगर बनाने तथा प्रशासनिक खर्च के लिए निधियां राज्यों द्वारा डीडब्ल्यूएसएम/जिला प्रयोगशाला को रिलीज की जाएंगी।

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार निधियों के प्रवाह तथा क्षेत्रीय परीक्षण किटों की खरीद के मुद्दे पर निर्णय ले सकती हैं।

क्षेत्रीय परीक्षण किटों के आवर्ती खर्च तथा अन्य खर्चों की पूर्ति के लिए समुदाय प्रतिमाह प्रति परिवार 1 रूपये की दर से अंशदान कर सकता है तथा अलग खाता-बही में वीडब्ल्यूएसपी खाते में जमा करा सकता है।

5.0 सूचना, शिक्षा, एवं संचार (आईईसी) तथा मानव संसाधन विकास (एचआरडी) के अंतर्गत कार्यकलापों की निदर्शी सूची

5.1 पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई)/ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी)/जल गुणवत्ता एवं स्वच्छता संबंधी पंचायती राज संस्थाओं की स्थायी समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण देना :

- रोगों से संबंधित जल गुणवत्ता मुद्दे, जिनमें स्वास्थ्य शामिल है ।
- जल गुणवत्ता की निगरानी
- स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

5.2 गैर-सरकारी संस्थाओं, जिला स्तर के अधिकारियों, राज्य स्तर के कर्मियों को निम्नलिखित में प्रशिक्षण देना :

- सामाजिक जागरूकता
- जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच
- स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

5.3 आईईसी रणनीति, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- अंतः वैयक्तिक संचार (व्यक्तिगत संपर्क)
- श्रव्य-दश्य प्रचार
- विज्ञापन-पट भिति लेख
- नारों, चित्र फ्रेमों, सामूहिक बैठकों, नुक्कड़ नाटकों, भागीदारीपूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन और प्रदर्शनी को साधनों के रूप में उपयोग किया जा सकता है । मीडिया एवं संचार के लिए सुझाव के रूप में दी गई रणनीति अनुबंध - I में दी गई है ।

5.4 जल गुणवत्ता निगरानी तथा जांच को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर स्कूल अध्यापकों, स्वास्थ्य कर्मियों,आंगनवाड़ी कर्मियों को प्रशिक्षित करना ।

6.0 लागत मानक

6.1 आईईसी कार्यकलाप

- राज्य में जनसंख्या को दिए गए महत्व के अनुसार (कुल बजट - 5 वर्ष के लिए 120 करोड़ रु.)
- आईईसी कार्यकलाप जरूरत के अनुसार राज्य, जिले, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर निष्पादित किए जाएं ।
- ग्राम स्तर पर आईईसी कार्यकलापों में एक दिन के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन शामिल किया जा सकता है जिसमें सीसीडीयू दिशानिर्देशों के अनुसार

25 व्यक्तियों के भाग लेने और प्रति व्यक्ति 100 रु. की लागत की अनुमति है ।

6.2 प्रशिक्षण

- राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या - 2
- जिला स्तर पर प्रशिक्षित किए जाने वाले व्यक्तियों की सं. - 4
- ब्लॉक स्तर पर - 5
- ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर - 5
- सभी स्तरों पर प्रति पाठ्यक्रम व्यक्तियों की अधिकतम संख्या - 25
- प्रति पाठ्यक्रम अधिकतम लागत : राज्य स्तर पर जिला अधिकारी : 5 दिन के लिए 1,92,500 रु. तक जिसमें यात्रा भत्ता (टीए)/महंगाई भत्ता (डीए) शामिल नहीं है (टीए/डीए के लिए औसत 2000 रु. अर्थात् टीए-1500 रु., डीए-100 रु. प्रति दिन) । जिला स्तर पर पर ब्लॉक अधिकारी 3 दिन के लिए 30,000 रु. तक जिसमें टीए/डीए शामिल है और ब्लॉक स्तर पर जीपी कर्मी - 2 दिन के लिए 15000 रु. तक जिसमें टीए/डीए शामिल है ।

6.3 प्रयोगशालाएं:

- **सुदृढ़ता के लिए:** 1.00 लाख रु. प्रति प्रयोगशाला (इसके अलावा और वित्तीय सहायता का मूल्यांकन एसआरआई रिपोर्ट तथा एनआरआई सिफारिश के आधार पर किया जाएगा) ।
- **नई प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए:** विद्यमान मानकों के अनुसार 4.00 लाख रु. प्रति प्रयोगशाला ।
- नई जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना और उनके द्वारा कार्य शुरू करने तक डीडब्ल्यूएसएम कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए सीएसआईआर प्रयोगशालाओं, इंजीनियरी कालेजों, पोलीटेक्नीकों, + 2 स्तरीय स्कूलों, जिला स्वास्थ्य प्रयोगशाला आदि जैसी तकनीकी संस्थाओं का निर्धारण कर सकता है ।

6.4 फील्ड परीक्षण उपकरण (किट)

- रासायनिक पैरामीटरों के लिए फील्ड परीक्षण उपकरणों (एफटीके) की इकाई लागत (एफओआर डेस्टीनेशन आधार पर) 2500 रु. तक होगी - एफटीके सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को एक किट प्रति जीपी के मानक के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी ।

- जीवाणु संबंधी परीक्षण के लिए 18 रु. की इकाई लागत पर हाइड्रोजन सल्फाइड (एच2एस) शीशियां/स्ट्रिप्स उपयोग में लाई जाएंगी - परीक्षण वर्ष में 4 बार किया जाना चाहिए ।
- फील्ड परीक्षण उपकरणों के प्रापण के फलस्वरूप उपलब्ध बचत, यदि कोई हो, का अतिरिक्त उपकरण प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है ।
- जीपी/वीडब्ल्यूएससी निजी क्षेत्र के पेयजल स्रोतों सहित अपने पंचायती राज संस्था क्षेत्र में सभी पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करेंगी ।

6.5 जीपी स्तर पर यात्रा एवं परिवहन

- प्रति जीपी 60 रु. प्रति तिमाही (गांव तथा ब्लॉक/जिले/मुख्यालय के बीच बस द्वारा यात्रा की औसत लागत 30 रु. प्रति यात्रा से अधिक होने की संभावना नहीं है)

6.6 जिला स्तरीय प्रयोगशाला में आंकड़ों की जानकारी

- नमूनों की संख्या x 0.70 रु.

6.7 ग्राम पंचायतों के लिए लेखन-सामग्री - प्रति जी पी50 रु. प्रति वर्ष ।

6.8 जिल स्तरीय जांच समन्वयकों को मानदेय

- एक जिले से एक समन्वयक, बेहतर हो कि वह स्थानीय स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी हो, को 1500 रु. प्रति मास मानदेय ।

6.9 एनआईसीडी (एनआरआई) और एसआरआई को परामर्शी शुल्क

- एनआरआई के लिए - समझौता ज्ञापन के अनुसार
- राज्य स्तरीय प्रशिक्षण - प्रति राज्य 2 व्यक्ति - मुख्य संसाधन केन्द्र दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तपोषण ।
- एसआरआई के लिए - तकनीकी परामर्श दौरों, एवं यात्राओं, प्रलेखन एवं लेखन-सामग्री के लिए 4.8 लाख रु. प्रति वर्ष ।

6.10 जिला प्रयोगशालाओं के लिए जल परीक्षण, प्रलेखन तथा आंकड़ा प्रविष्हि शुल्क

- प्रति नमूना 90 रु. । अनुमान है कि राज्य के कुल जल गुणवत्ता स्त्रोतों में से 30% की जांच किए जाने की आवश्यकता हो सकती है ।

7.0 सामुदायिक अंशदान

अनुमान है कि 1 रु. प्रति परिवार प्रति मास अंशदान से नीचे दिए सभी खर्चों को पूरा किया जा सकेगा :

7.1 जीपी स्तर पर रिफिलिंग लागत - 500 रु. प्रति किट

7.2 जागरूकता कार्यक्रम, परीक्षण तथा रिकॉर्ड के रख-रखाव के लिए आशा/आंगनवाड़ी/विज्ञान विषय के अध्यापकों/स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य निचले स्तर के कार्मिकों (प्रति जीपी 5) को वार्षिक मानदेय - 500 रु. प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष /

7.3 जीपी स्तर पर रोगाणुनाशियों, छोटे-मोटे उपचारात्मक खर्चों आदि की लागत - प्रति जीपी 1500 रु. प्रति वर्ष ।

7.4 वार्षिक लागत - 250 रु. प्रति जीपी प्रति वर्ष ।

7.5 जीपी स्तर पर समन्वयक को मानदेय - एक व्यक्ति प्रति जीपी - 1200 रु. प्रति वर्ष की दर से ।

8.0 कार्यक्रम की निगरानी

- कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा नियमित जांच के माध्यम से निगरानी की जानी आवश्यक है। डीडब्ल्यूएसएम को जिले के लिए ऐसे विशेषज्ञों का एक दल गठित करना चाहिए जो विभिन्न ब्लॉकों में कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा करे । यह समीक्षा प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अवश्य की जाए । इसी प्रकार, एसडब्ल्यूएसम को जिलों में 6 महीने में एक बार ऐसी समीक्षा करनी चाहिए ।
- यह जांच और सुनिश्चय करने के लिए निरीक्षण किया जाना चाहिए कि क्या जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम का मानकों के अनुसार निष्पादन किया गया है और फील्ड परीक्षण किट का उपयोग करके जल नमूनों के विश्लेषण में समुदाय को शामिल किया गया है ।
- यह जांच करने के लिए निरीक्षण किया जाना चाहिए कि क्या ग्राम पंचायत की जल गुणवत्ता संबंधी जानकारी ग्राम पंचायत में साफ-साफ प्रदर्शित की गई है (भित्ति चित्रण या विशेष विज्ञापन-पट्ट द्वारा जिसके लिए आईईसी निधियों का उपयोग किया जा सकता है) ।

- इसके अलावा, भारत सरकार भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों में समीक्षा मिशन भेज सकती है ।

9.0 रिपोर्टें

रिपोर्टिंग प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

- ग्राम पंचायतें/वीडब्ल्यूएससी 3 महीने में एक बार जिला प्रयोगशाला को जांच रिपोर्टें भेजेंगी ।
- ऑन-लाइन एमआईएस पैकेज की स्थापना हो जाने के बाद जिला प्रयोगशाला के जल गुणवत्ता परीक्षण आंकड़ों को उसमें अद्यतन किया जाएगा ।
- राज्य स्तरीय प्रयोगशाला अपने अवलोकनों के आधार पर जिला स्तरीय आंकड़ों को अद्यतन करेगी । एमआईएस के कार्यशील होने तक राज्य सरकारें इस मंत्रालय को 3 महीने में एक बार जिलेवार जल गुणवत्ता निगरानी परिणाम भेजेंगी ।

10.0 वार्षिक लेखा-परीक्षा

जिला कार्यान्वयन एजेंसी लेखों की प्रति वर्ष किसी सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट) से लेखा-परीक्षा कराएगी और दूसरी परवर्ती किस्त की रिलीज के समय राज्य सरकार तथा भारत सरकार को रिपोर्ट भेजेगी ।

मीडिया और संचार के संबंध में सुझाई गई सम्प्रेषण नीति

1. मीडिया प्रचार की योजना एवं विकास प्रकिया

1.1 पुनरावलोकन

संचार रणनीति का उपयोग राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम के लिए मीडिया योजना तैयार करने एवं संबंधित दिशानिर्देश के लिए किया जाएगा । समवर्ती रूप से तैयार की गई इस नीति से लक्ष्य में रखे गए लोगों तक पहुंचने, उन्हें प्रेरित करने तथा बेहतर स्वास्थ्य के लिए जल गुणवत्ता उपायों को अपनाने के योग्य बनाने के लिए मिली-जुली संचार-व्यवस्था (यथा-मीडिया क्षेत्र, इंटरनेट और नए मीडिया के अन्य स्वरूप और साझीदारियां) में विभिन्न घटकों की पहचान होगी और अनुशंसा मिलेगी ।

1.2 कार्य क्षेत्र

केन्द्रीय स्तर पर एक समेकित संचार योजना एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करेगी जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य जानकारी का प्रभावी रूप से प्रसार करने तथा लक्ष्य में रखे गए व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए राज्य विशिष्ट योजनाएं बनाएंगी ।

संचार रणनीति विवरण में अभियान में रखे गए व्यक्तियों, लक्ष्याधीन प्रत्येक व्यक्ति के लिए संचार उद्देश्यों (अर्थात्, संचार के माध्यम से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं) और प्रत्येक उद्देश्य को हासिल करने के लिए सबसे उपयुक्त संप्रेषण रणनीति (अर्थात् संप्रेषण की हमारी योजना क्या है) का स्पष्ट उल्लेख होगा ।

मीडिया योजना इस प्रकार तैयार की जाएगी कि वह किफायत तथा अधिकतम लोगों तक पहुंचने वाली मीडिया कार्य योजना के लिए दिशानिर्देशों के लिए यह एक सीमा तक मिश्रित मीडिया (अर्थात् टीवी, रेडियो, प्रिंटर, बाह्य प्रचार और इंटरनेट विज्ञापन) की सिफारिश करेगी और लक्ष्य में रखे गए सभी व्यक्तियों तक अधिक से अधिक और नियमत रूप से पहुंच हासिल करने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय दृष्टि से प्रत्येक माध्यम के बीच सामन्जस्य बिठाने का कार्य करेगी ।

1.3 सारांश

इन दस्तावेजों से ऐसा संचार अभियान तैयार होगा जो स्वच्छ पानी के महत्व को समेकित, सामरिक एवं उद्यमशील तरीके से प्रचारित करेगा । यह अभियान प्रदत्त विज्ञापन, समेकित विपणन संचार-व्यवस्था, सामरिक गुटों की अनुपूरक शक्ति का भरपूर लाभ उठाएगा ताकि सरकार के मीडिया खर्च का अत्यंत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सके ।

2. राष्ट्रीय संचार नीति

2.1 परिभाषित लक्ष्याधीन व्यक्ति

2.1.1 मुख्य व्यक्ति :

- परिवारों की महिला सदस्य ।
- परिवार का मुखिया ।
- जागरूकता अभियान के लिए प्राथमिक स्कूल के बच्चे ।
- युवा (लगभग 8-14 वर्ष की आयु के)
- उच्चतर विद्यालय स्तर के किशोर (लगभग 14-18 वर्ष की आयु), विशेष रूप से जागरूकता के लिए विद्यालयों में सामान्य स्वास्थ्य संबंधी आदतों और जल गुणवत्ता परीक्षा के महत्व तथा तरीकों पर केन्द्रित भविष्य में बच्चे परिवर्तन लाते हैं ।

2.1.2 गांवों में प्रभाव डालने वाले

- विद्यालय के शिक्षक,
- आंगनवाड़ी कर्मी

- 'आशा' सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी
- पंचायत अध्यक्ष/सदस्य
- गैर-सरकारी संगठन/समुदाय आधारित संगठन/युवा क्लब
- पुजारी, चर्च के पादरी आदि जैसे स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति ।

2.1.3 जिला स्तर/ब्लॉक स्तर पर प्रभाव डालने वाले

- जिला स्तरीय कार्यान्वयन कर्मी (जिला मजिस्ट्रेट/सीईओ/अन्य जिला एजेंसियां)
- बीडीओ और अन्य कार्यान्वयन कर्मी
- गैर-सरकारी संगठन/समुदाय आधारित संगठन/युवा क्लब
- विश्व विद्यालयों, कॉलेजों और अन्य प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठनों के प्रोफेसर, प्राख्यता आदि ।

2.2 संपर्क उद्देश्य

संपर्क उद्देश्य 1: " जल प्रत्येक के काम आने वाली वस्तु है" के बारे में जागरूकता पैदा करना ।
संपर्क उद्देश्य 2: "संचालन एवं रखरखाव लागत को पूरी तरह समुदाय द्वारा वहन किया जाना चाहिए" के बारे में सोच पैदा करना ।
संपर्क उद्देश्य 3: जल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करना । (अशुद्ध जल के कु-प्रभाव को उजागर किया जा सकता है)
संपर्क उद्देश्य 4: स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल के प्रति लोगों की जानकारी बढ़ाना (शुद्ध जल क्या है ?)
संपर्क उद्देश्य 5: स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता के संबंध में लोगों की अवधारणा को बदलना (स्वच्छ जल और स्वच्छता के बारे में लोगों द्वारा महसूस की जाने वाली जरूरत को बढ़ाना) ।
संपर्क उद्देश्य 6: जल के बेहतर ढंग से उपयोग और भंडारण के संबंध में लोगों के निजी और सामाजिक कौशल को बढ़ाना ।

संपर्क उद्देश्य 7: जल के परीक्षण और इसकी समय-समय पर निगरानी करना ताकि इसकी गुणवत्ता का पता लगाया जा सके तथा संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना देने के लिए निचले स्तर के कर्मियों के कौशल को बढ़ाना ।

2.3 कार्यनीति

समन्वित संपर्क के सृजन एवं कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए निम्नलिखित तीन कार्यनीतियों का प्रस्ताव किया गया हैः-

कार्यनीति 1: विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की मीडिया और व्यक्तियों के आपसी संपर्कों के जरिए संवादों की सुपुर्दगी को बढ़ाना ।
कार्यनीति 2: क्षेत्रीय और समस्या विशिष्ट संपर्क संबंधी कार्यनीतियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ।
कार्यनीति 3: निचले स्तर के संगठन और व्यक्तियों के लिए अभियान सुनिश्चित करने की दृष्टि से क्षेत्र विशिष्ट अभियान और संवाद बढ़ाने में उन्हें शामिल करना (और इसे स्वीकार कर लिया गया है) ।
कार्यनीति 4: व्यवहार और परिणामों को दर्शाने के लिए लक्ष्य में रखे गए जनसमुदाय के वास्तविक सदस्यों को व्यवहार में लाना (अर्थात जनसमुदाय को संवाद के रूप में काम में लाना)

2.4 संपर्क चैनल विश्लेषण

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के संबंध में लक्ष्य में रखे गए जनसाधारण के बोधगम्य व्यवहार में परिवर्तन लाना है । इसकी स्थिति जल गुणवत्ता के महत्व, परीक्षण की जरूरत, जल रखरखाव की अस्वास्थ्यकर प्रवृत्तियों की वजह से हुए दुष्परिणामों के बारे में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के बीच जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से बदलती रही हैं । यह व्यवहारात्मक परिवर्तन स्थायी होना चाहिए, जो जल्द ही खत्म नहीं होगा । इस प्रयोजनार्थ साधनों के रूप में विभिन्न प्रकार के संपर्क चैनलों का उपयोग किया जाता है । संपूर्ण प्रक्रिया में विभिन्न चैनलों के बारे में जानने से पहले एक किफायती विश्लेषण करने की जरूरत है ।

1. अन्तः व्यक्तिगत संपर्क

यह संपर्क का सबसे पुराना माध्यम है, जिससे हमें अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं । लक्ष्य में रखे गए विशाल जनसमूह सीधे आपस में संपर्क कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की संवादहीनता की इसमें बहुत ही कम गुंजाइश रहती है । संपर्क में बाधाओं की गुंजाइश बहुत कम है । सभी कार्यक्रमों में इस मीडिया का वृहत्त पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है । इस चैनल का लाभ यह है कि, संदेश लक्ष्य में रखे गए उन जनसमूहों तक भी पहुंचाए जा सकते हैं, जो अशिक्षित हैं । उपर्युक्त संदेश पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं के एक कर्तव्यनिष्ठ दल की जरूरत होगी जो कि संदेश पहुंचा सके। उपर्युक्त चैनल की एक खामी यह है कि व्यक्ति-दर-व्यक्ति संपर्क साधने का खर्च काफी अधिक होता है, इसके साथ ही लक्षित जनसमूह में उपयुक्त संपर्क संदेश प्रसारित करने की दृष्टि से स्टाफों के लिए अनेक प्रशिक्षणों की भी जरूरत होती है ।

2. जनसंचार प्रिंट

जनसंचार प्रिंट एक ही बार में बहुत बड़ी आबादी में संदेश पहुंचाने का एक किफायती माध्यम है । यह एक विश्वसनीय माध्यम है और बहत अधिक मात्रा में देशी भाषाओं में प्रिंट माध्यमों की मौजूदगी इस पहुंच को कई गुणा बढ़ा देती है । इस माध्यम की कमी यह है कि अधिक दृश्य परिणामों वाला संक्षिप्त संदेश जनसमूह का ध्यान आकृष्ट करता है ।

3. जनसंचार -दीवार पर लिखाई, हार्डिंग, पोस्टर, बैनरः

उपर्युक्त मीडिया जनसमूह तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है । इस मीडिया का प्रत्यक्ष प्रभाव काफी अधिक है । लोग संदेश को याद रखते हैं । इस मीडिया का प्रति व्यक्ति पहुंच खर्च काफी कम है । संदेश की दीर्घकालिकता की वजह से यह जनसमूह के लिए एक यादगार मीडिया के रूप में कार्य करता है ।

4. जनसंचार - श्रव्य-दृश्य (विडियो वैन, ब्रांडेड वैन)

जनसंचार - श्रव्य-दृश्य अधिक से अधिक जनसमूह तक पहुंचने वाली सबसे अच्छी मीडिया है । यहां एक संक्षिप्त संदेश से ही लक्षित जनसमूह व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत को समझ सकते हैं । प्रति व्यक्ति इस मीडिया की पहुंचने की लागत अपेक्षकृत अधिक है । किंतु संदेश के वृहत्त पैमाने पर प्रचार-प्रसार के लिए इसी मीडिया की सिफारिश की जाती है ।

5. परंपरागत मीडिया

भारत में लोकसाहित्य बहुत लोकप्रिय है और नुक्कड़, नाटक, कठपुतली नाच, कथावाचन, लोकनृत्य आदि जैसे विभिन्न परंपरागत चैनल अभी भी मौजूद हैं । इनका लक्षित जनसमूह पर बहुत अधिक प्रभाव है । स्थानीय भाषा में छपे संवाद लक्षित जनसमूह की अवधारणा को बदलने में बहुत अधिक मददगार होते हैं ।

2.5 कार्य-योजना

शुरूआती चरण में कार्य योजना की रूप-रेखा निम्नलिखित है । इनमें से प्रत्येक खंडों की व्याख्या निम्नलिखित पन्नों में की गई है ।

2.5.1 शुरूआती चरण में कार्य योजना

i. इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य प्रिंट मीडिया चैनल के जरिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करना ।
ii. गौण जनसाधारण, राजनैतिक जनसाधारण आदि के लिए पी आर अभियान।
iii. संबंधित राज्यों द्वारा बनाई जाने वाली राज्य विशिष्ट कार्यनीतियां।

2.5.2 पहले वर्ष में अन्य क्रियाकलाप

i. विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम (टॉक शो, अन्य कार्यक्रम)
ii. जन गुणवत्ता मुद्दों के लिए इंटरनेट आधारित विशेष अभियान ।
iii. स्कूल पिअर एंड यूथ मेंटर क्रियाकलापों को बढ़ावा एवं सहायता देना ।

2.6 एनआरडीडब्ल्यूक्यूएमएसपी का शुरूआती चरण

2.6.1 राष्ट्रीय अभियान की शुरूआत

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम की शुरूआत जल और स्वच्छता में पेयजल गुणवत्ता के महत्व के मुद्दे को उजागर करने का एक अनोखा अवसर है । यदि इसे कारगर रूप से कार्यान्वित किया जाता है तो इससेः

- मीडिया में समाचारों और फीचर कवरेज के माध्यम से, जिसकी पहुंच लक्ष्य में रखे गए बहुत बड़े जनसमूह तक है, इस मुद्दे के बारे में राष्ट्रीय जागरूकता सृजित होगी ।
- साझा समूहों एवं स्टेकहोल्डरों के बीच अभियान लक्ष्यों की जानकारी और सहायता मिलेगी ।

इस अभियान में उत्तेजना पैदा करने की और कुछ "नया" की भावना उत्पन्न करने की जरूरत है ताकि लक्ष्य में रखे गए बहुत बड़े जनसमूह इसकी ओर ध्यान दे सकें । यह बहुउद्देश्यीय "अभियान" होना चाहिए, बेहतर हो कि इसका समय कार्यक्रम के आरंभ से एक माह पूर्व राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित विज्ञापनों के साथ हो।

प्रदत्त विज्ञापन साझेदारों के साथ अनोखी मीडिया साझेदारी के माध्यम से आंशिक रूप में ऐसा किया जा सकता है । (इसके लिए विभिन्न एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे जा सकते हैं । मीडिया की पहुंच और इसके लक्ष्य में रखे गए विशाल जनसमूह की स्वीकार्यता के अनुसार, मीडिया का चयन किया जा सकता है) ।

राष्ट्रीय तथा स्थानीय समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में विज्ञापन, मनोरंजन और सूचना कार्यक्रमों के जरिए जल गुणवत्ता संदेशों के प्रसारण के लिए अलग से एक महीने का समय दिया जा सकता है । प्रारंभिक अभियानों में अभियान के ग्राफिक संकेत, और संभवतः स्लोगन को पेश किया जाएगा ताकि लक्ष्य में रखे गए विशाल जनसमुदायों को अभियान संदेश की मूल भावना के बारे में सफलतापूर्वक बताया जा सके ।

प्रमुख समाचार पत्रों (राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक, हिन्दी दैनिक में)के एक पन्ने में भुगतान किए विज्ञापनों के जरिए इस अभियान के शुरू होने की घोषणा की जा सकती है और इसके अंतर्गत कैचमेंट एरिया अप्रोच में लोगों की भागीदारी की मांग की जाती है । उद्घाटन समारोह के समय प्रसारण और विशेष जल गुणवत्ता प्रशिक्षण किट दर्शाए जा सकते हैं और रिपोर्टों के लिए विशेष मीडिया किट तैयार किए जा सकते हैं ।

जीवन के सभी क्षेत्र के प्रतिनिधियों अर्थात विशेषज्ञों, एनजीओ, सीवीओ, मीडिया संगठनों का उद्घाटन समारोह में बुलया जा सकता है । सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए इस अभियान के शुभारंभ के मौके पर कॉरपोरेट को शामिल किया जा सकता है ।

2.6.2 पहले वर्ष में अन्य क्रियाकलाप

2.6.3 बनाई जाने वाली राज्य विशिष्ट कार्य योजना

उचित संचार अभियान के लिए क्षेत्र और समस्या विशिष्ट संचार कार्यनीति बनाए जाने की जरूरत है । चूंकि हम यहां बहुत बड़ी स्थानीय आबादी के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए हमारे प्रयास स्थानीय आबादी को जागरूक बनाने पर केंद्रित होने चाहिए । इसके लिए राज्यों को क्षेत्र में स्थानीय

आबादी के हिसाब से मीडिया अभियान तय करने और उसे शुरू करना होगा । सीसीडीयू के साथ-साथ राज्य रेफरल संस्थान राज्य विशिष्ट आईईसी कार्य योजना तैयार करने के लिए एसडब्ल्यूएसएम को आवश्यक सहायता प्रदान कर सकते हैं ।

3. राज्यों के पास समेकित संपर्क योजना

इस प्रकार के बहुवर्षीय संपर्क अभियानों की सर्वाधिक कारगर ढंग से योजना चरणों में बनाई जाएगी और इन्हें कार्यान्वित किया जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम और विभिन्न बाह्य घटकों की वजह से प्राथमिकताएं बदल जाती हैं । इसलिए अभियान में नियोजन प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी जिसमें निम्न को ध्यान में रखा जाएगा।

1. सिद्धांत, कार्यनीतियां
2. मध्यवर्ती मूल्यांकन करना/चल रहे अभियान क्रियाकलापों से जानकारी प्राप्त करना ।
3. सम्बद्ध बाह्य और आंतरिक लक्ष्य

कार्यक्रम के लिए एक उपयुक्त संस्थागत ढांचे की नितांत आवश्यकता है । विभिन्न स्तरों पर आईईसी कार्य योजना समग्र आईईसी कार्यनीतियों को ध्यान में रखते हुए बदलेगी । इस कार्यक्रम में सहायता करने वाले संस्थागत फ्रेमवर्क के ब्यौरे निम्न हो सकते है:-

4. शुरूआती चरण की संपर्क कार्यनीतियों में सिफारिश किए गए घटकः

क्र.सं.	प्रयोजन	विशाल जनसमूह	संपर्क चैनल	संदेश
1	शुरूआत से पहले प्रचार-प्रसार	1. आम जनता 2. कार्यान्व्यन करने वाले	1. शुरू करने से पूर्व एक माह के भीतर श्रव्य-दृश्य चैनल और प्रिंट मीडिया	1. लगातार चार सप्ताह तक प्रत्येक सप्ताह पहले से प्रचार-प्रसार करना
2	कार्यक्रम को शुरू करना	1. राजनैतिक नेता 2. राज्य अधिकारी 3. कार्यान्वयन एजेंसियां 4. आम जनता 5. लक्ष्य में रखा गया विशाल जनसमूह	1. श्रव्य-दृश्य चैनल-मुख्य रूप से सभी न्यूज चैनल (एनडीटीवी, जी, आज तक, डीडी नेशनल) 2. प्रिंट मीडिया-(राष्ट्रीय दैनिक, स्वदेशी मीडिया) 3. पी आर एजेंसियों को भाड़े पर रखना ।	1.एनडब्ल्यूक्यूएमएसपी जैसे कार्यक्रम की जरूरत 2. प्रदूषित जल के दुस्परिणामों को दर्शाते हुए स्वच्छ पेयजल की जरूरत
3	स्वच्छ पेयजल की जरूरत को उजागर करना	1. लक्ष्य में रखे गए प्राथमिक विशाल जनसमुदाय 2. लक्ष्य में रखे गए गौण विशाल जनसमुदाय	1. दूरदर्शन/रेडियो स्पॉट 2. जलगुणवत्ता प्रशिक्षण और किटों के उपयोग पर प्रशिक्षण नियमावली तैयार करना	1. उपर्युक्त की तरह संदेश
4	स्वच्छ पेयजल में समुदाय की भागीदारी	1. प्राथमिक जनसमूह प्रभाव डालने वाले	1. वृत्त चित्र तैयार किए जाने चाहिए । 2. आईपीसी नियमावली तैयार की गई । 3. पारंपरिक मीडिया का इस्तेमाल	1. क्षेत्रीय भाषा में मुद्दा आधारित स्थानीय फिल्म 2. एनएसडी के सहयोग से एक मानक क्षेत्र/राज्य विशिष्ट स्क्रिप्ट तैयार करना
5	राज्य प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना	1. कार्यान्वयन करने वाले	1. वैयक्तिक सदस्यों के पास पिन मेलर भेजे जाने चाहिए	1. भारत सरकार फोकस के अनुसार प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने की जरूरत

5. राज्यों के साथ समेकित संपर्क में सिफारिश किए गए घटक

क्र.सं.	प्रयोजन	विशाल जनसमूह	संपर्क चैनल	संदेश
1	राज्य विशिष्ट संपर्क कार्यनीतियों का विकास	1. कार्यान्वयनकर्ता	1. विभिन्न राज्यों की आवश्यकता और समस्याओं के अनुसार संचार कार्यनीति तैयार करना । 2. राज्यों की संचार कार्यनीतियों को अंतिम रूप देने के लिए सीसीडीयू और एसआरआई की मदद से क्षेत्र विशिष्ट कार्यशाला आयोजित करना	1. राज्य में इसे लागू करने से पहले
2	अंतर वैयक्तिक संपर्क नियमावली और प्रशिक्षण नियमावली तैयार करना	1. कामगार और कार्यान्वयनकर्ता	1. मास मीडिया (फ्लिप चार्ट और पुस्तिका)	1. स्वच्छ पेयजल और इसकी आवश्यकता

6. निष्कर्ष

निष्कर्षतः कार्यक्रम में स्थानीय आबादी को शिक्षित और सक्षम बनाने के लिए संसाधन सम्मिलित किए गए हैं ताकि वे इसे बेहतर ढंग से समझ सकें और सक्रिय रूप से भागीदारी कर सकें । इस काम को राज्यों के साथ राष्ट्रीय तथा समेकित संपर्क अभियान के माध्यम से अधिक प्रभावशाली ढंग से पूरा किया जा सकता है। विविध सहायक चैनलों के माध्यम से कार्यनीति संबंधी संदेश देकर समन्वित संपर्क अभियान से स्वच्छ पेयजल के उपयोग को प्रभावित करने वाले विश्वासों और व्यवहारों में बदलाव आ सकता है ।

इस समन्वित संपर्क योजना के प्रत्येक विविध अवयव को संपर्क कार्यनीति के अनुरूप बनाया गया है । चूंकि कार्यक्रम के ये अवयव सावधानीपूर्वक समन्वित रूप से परिलक्षित होते हैं, इसलिए बदलाव लाने के लिए भविष्य में और सकारात्मक प्रयास किया जाना चाहिए ।